आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020–21/987 दिनांक–07.01.2022

समस्त रजिस्ट्रार, प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
वित्तपोषित विश्वविद्यालय/ निजी विश्वविद्यालय,
राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान

विषय– कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 2020–21 बाबत्।
संदर्भ– विभाग का आदेश संख्या क्रमांक–एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा. ऑनलाईन /2020–21/885 दिनांक–14.12.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 की छात्राओं से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विद्यार्थियों द्वारा आक्षेप पूर्ति हेतु अंतिम तिथि 19.12.2021, महाविद्यालयों द्वारा जाँच उपरान्त नोडल महाविद्यालयों को फारवर्ड की अंतिम तिथि 22.12.2021 एवं नोडल महाविद्यालयों द्वारा जाँच किये जाने हेतु अंतिम तिथि 27.12.2021 रखी गई थी किन्तु कतिपय छात्राओं द्वारा अंतिम तिथि तक आक्षेप पूर्ति नहीं की गई, महाविद्यालयों द्वारा जिला नोडल महाविद्यालयों को अंतिम तिथि तक फारवर्ड नहीं किया गया एवं जिला नोडल महाविद्यालयों द्वारा अंतिम तिथि तक जाँच नहीं की गई। छात्राओं के हित को मध्यनजर रखते हुए उक्त योजना का पोर्टल खोला जा रहा है :–

क्र.सं	स्कूटी योजना का नाम
	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
1.	उच्च शिक्षा विभाग 12वीं उत्तीर्ण (सभी वर्गों की छात्राओं हेतु)
2.	अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
3.	सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग)
4.	अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलात् विभाग)
5.	अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)

उक्त योजना के आवेदनों की जॉच हेतु निम्न तिथियों के अनुसार पोर्टल खोला जा रहा है–

विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ति हेतु	दिनांक–8.1.2022 से 11.1.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक
महाविद्यालयों द्वारा जॉच उपरान्त नोडल महाविद्यालय को आवेदन ऑनलाईन फॉरवर्ड हेतु	दिनांक–8.1.2022 से 13.1.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक
नोडल महाविद्यालयों द्वारा जॉच उपरान्त संबंधित मुख्यालय को आवेदन फॉरवर्ड किये जाने हेतु	दिनांक–8.1.2022 से 17.1.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग) निम्न तिथियों के अनुसार पोर्टल खोला जा रहा है–

विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ति हेतु	दिनांक–8.1.2022 से 11.1.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जॉच उपरान्त संबंधित मुख्यालय (टीएडी) को ऑनलाईन आवेदन फॉरवर्ड किये जाने हेतु	दिनांक–8.1.2022 से 17.1.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत आक्षेपित आवेदनकर्ता (छात्राओं) के दूरभाष पर व्यक्तिशः वार्ता कर आक्षेपों की पूर्ति कराना सुनिश्चित किया जावे।

यदि किसी महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र छात्रा किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर करते है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी।

(हरिसिंह मीना)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः एफ 23(80)(1)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020–21/988 दिनांक–07.01.2022
प्रतिलिपिः–प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Schlorship/